



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE  
 CHANGE**  
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office,  
 Chandigarh**



F.No.- 9-HRB021/2023-CHA

दिनांक: April, 2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
 हरियाणा सरकार,  
 हरियाणा सिविल सचिवालय,  
 चण्डीगढ़।

([fcforest@hry.nic.in](mailto:fcforest@hry.nic.in))

विषय: **Diversion of 0.02383 ha. of Forest land for Establishment of Retail Outlet (Petrol Pump) at proposed location at Khasra No. 138/1 I/2 in village-Haroli on Ratia-Sardulgarh Road (MDR-101) Block, Nagpur under Forest Division & District Fatehabad, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/142971/2021)**

संदर्भ: State Government's Compliance Letter No. FCA/e-915855/3493 dated 17.03.2023 received on 21.03.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.02383** हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

**(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-**

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से **CA** स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. प्रयोक्ता एजेंसी से **ACA** स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- iii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि **0.02383** हेक्टेयर की नैट प्रजैट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- iv. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।
- v. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जाएगी।
- vi. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूर्क शुल्क (सीएलागत, एनपीवी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- I/41012/2007
- vii. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के द्वारा किया जाएगा |
- viii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण एवं अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |
- ix. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |
- (B) वे शर्तें, जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-
- i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। वृक्षों/पौधों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों/पौधों के पातन में हुए खर्च की राशि, प्रयोक्ता एजेंसी, राज्य वन विभाग को जमा करवाएंगे |
- iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि **Fatehabad Branch RD 160 to 161, L/R Side** में **100** पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |
- iv. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एसीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि **Fatehabad Branch RD 160 to 161, L/R Side** में **40** पौधे लगाकर एसीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |
- v. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |
- vi. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
- vii. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूर्क वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी |
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा |
- ix. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- x. इस प्रस्ताव को **15** वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xi. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से **1.5** मीटर जगह छोड़कर **1.0** से **1.5** मीटर के अन्तराल पर **Light crown** पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

- I/41012/2023
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंधुच मार्ग (**Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration**) व विभाजक द्वीप (**Separator Island**) पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |
- xiii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंधुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|
- xiv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
- xv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
- xvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |
- xvii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|
- xviii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
- xix. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। **केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।**

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।

भवदीय  
हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)  
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली। ([ramesh.pandey@nic.in](mailto:ramesh.pandey@nic.in))
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. ([pccf-hry@nic.in](mailto:pccf-hry@nic.in))
3. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Fatehabad, Haryana. ([dfo.ftbd-hry@nic.in](mailto:dfo.ftbd-hry@nic.in))
4. Indian Oil Corporation Limited, Village Haroli, Distt. Fatehabad, Haryana- 125051. ([iocharoli@gmail.com](mailto:iocharoli@gmail.com))